



विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 341/वि0स0/597/संसदीय/2024
देहरादून, दिनांक : 21 नवम्बर, 2024

अधिसूचना/प्रकीर्ण

इस सचिवालय के अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या: 328/वि0स0/597/संसदीय/2024, दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के क्रम में एतद्द्वारा सर्वसधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 पर गठित प्रवर समिति का कार्यकाल माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा 09 नवम्बर, 2024 के पश्चात् आगामी सत्र तक के लिए बढ़ा दिया है।

आज्ञा से,
ह0/-

(हेम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव।

संख्या : 341/वि0स0/597/संसदीय/2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित:-

1. माननीय अध्यक्ष के प्रमुख निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष की सूचनार्थ,
2. माननीय मुख्यमंत्री के वरिष्ठ निजी सचिव को माननीय मुख्यमंत्री की सूचनार्थ,
3. माननीय शहरी विकास मंत्री एवं सभापति, प्रवर समिति विधान सभा के निजी सचिव को माननीय सभापति की सूचनार्थ,
4. माननीय नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव को माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
5. उत्तराखण्ड विधान सभा के समस्त सदस्यगण,
6. समस्त माननीय मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
8. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
9. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, देहरादून,
10. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
11. सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को सचिव की सूचनार्थ,
12. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून,
13. अनुभाग अधिकारी, शोध एवं सन्दर्भ को विधान सभा की वेबसाईट हेतु,
14. विधान सभा के समस्त अधिकारी।

86
21-11-2024
(हेम चन्द्र पन्त)
उप सचिव (लेखा),
कृते सचिव।